



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश,

ए-विंग, द्वितीय तल, वन भवन, तुलसी नगर, लिंक रोड नं.-2 भोपाल

कक्षा-(संयुक्त वन प्रबंध) ई-मेल :apccfjfm@mp.gov.in फोन नं.- 0755-2524197

क्रमांक / सं.व.प्र. / श.अ.दे.पु. / ७४९

भोपाल, दिनांक ३०/०९/ २०२५

प्रति,

आयुक्त,
जनसम्पर्क संचालनालय,
बाणगंगा, भोपाल (म.प्र.)

विषय : मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा घोषित शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार वर्ष 2023–24 हेतु विज्ञापन प्रसारित किए जाने के संबंध में।

—०—

राज्य शासन द्वारा “शहीद अमृता देवी विश्नोई वन तथा वन्य प्राणी पुरस्कार” की स्थापना की गई है। इस वर्ष दिये जाने वाले पुरस्कार हेतु नामांकन आमंत्रित करने की रूपरेखा तथा अन्य विवरण से जन-साधारण को अवगत कराया जाना है। इस संबंध में पूर्व में प्रसारित विज्ञापन के द्वारा दिनांक 15.09.2025 तक प्रस्ताव चाहे गये थे, किन्तु पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः अधिक से अधिक प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु पुनः विज्ञापन प्रसारित किया जाना है। इस संबंध में एक विज्ञापन प्रारूप संलग्न है।

अनुरोध है कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों से प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचार पत्रों में यह विज्ञापन प्रकाशित करवाने का कष्ट करें, जिससे जन-साधारण को इसके संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके। यह विज्ञापन समाचार पत्रों में १०.१०.२०२५ के पूर्व कम से कम दो बार प्रकाशित करने का कष्ट करें, जिन समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाए, उन समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का भी कष्ट करें।

संलग्न:-विज्ञापन की प्रति

मि ३०.९.२५
(डॉ. बी.एस. अनिगरी)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सं.व.प्र.)
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक / सं.व.प्र. / श.अ.दे.पु. / ७५०

भोपाल, दिनांक ३०/०९/ २०२५

प्रतिलिपि:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित। कृपया संलग्न विज्ञापन, पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सं.व.प्र.)
मध्य प्रदेश, भोपाल

कक्ष/कर्मचारी का नाम	भरत
अ.प्र.मु.व.स. (सूची)	१८

०१/१०/२५

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश,

ए-विंग, द्वितीय तल, वन भवन, तुलसी नगर, लिंक रोड नं.-2 भोपाल
 कक्षा-(संयुक्त वन प्रबंध)
 ई-मेल : apccfjfm@mp.gov.in, फोन नं. 0755-2524197

शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार, 2023-24

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में वन रक्षा और संवर्धन तथा वन्य जीव रक्षा एवं संवर्धन के क्षेत्र में अति विशिष्ट और उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं और शासकीय, अशासकीय व्यक्तियों को पुरस्कृत करने के लिये शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार 2023-24 हेतु नामांकन आमंत्रित किये जाते हैं। पुरस्कार वर्ग, कार्यक्षेत्र एवं पुरस्कार राशि की जानकारी नीचे तालिका में दी गयी है:-

क्र.	पुरस्कार वर्ग	कार्य क्षेत्र	पुरस्कार
1.	संस्थागत – ग्राम पंचायत, संयुक्त वन प्रबंध के अंतर्गत गठित समितियाँ, अशासकीय स्वयंसेवी संस्थान।	वन सुरक्षा एवं वन संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य	रु. 1.00 लाख तथा प्रशस्ति पत्र
2.	व्यक्तिगत (अशासकीय)	अ. वन सुरक्षा एवं वन संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य	रु. 50 हजार तथा प्रशस्ति पत्र
	व्यक्तिगत (अशासकीय)	ब. वन्य प्राणियों की सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य (अदम्य साहस एवं सूझबूझ का प्रदर्शन)	रु. 50 हजार तथा प्रशस्ति पत्र
3.	व्यक्तिगत (शासकीय)	अ. वन सुरक्षा एवं वन संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य	रु. 50 हजार तथा प्रशस्ति पत्र
	व्यक्तिगत (शासकीय)	ब. वन्य प्राणियों की सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य (अदम्य साहस एवं सूझबूझ का प्रदर्शन)	रु. 50 हजार तथा प्रशस्ति पत्र

पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के द्वारा दिनांक 15.09.2025 तक प्रस्ताव चाहे गये थे, किन्तु पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः अधिक से अधिक प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु अवधि में वृद्धि की जा रही है।

विस्तृत जानकारी तथा नामांकन पत्र का प्रारूप मध्य प्रदेश में स्थित निकटतम वनवृत्त के मुख्य वन संरक्षक, वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) एवं वन्यप्राणी शाखा के क्षेत्र संचालक टायगर रिजर्व कार्यालय या वन विभाग, मध्य प्रदेश की वेबसाइट www.mpforest.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र के नामांकन जिला पंचायत/जनपद पंचायत की अनुशंसा सहित वन संरक्षक (क्षेत्रीय)/वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) एवं वन्यप्राणी शाखा के क्षेत्र संचालक टायगर रिजर्व को भेजे जायें। निर्धारित फार्म पर भरे हुए नामांकन संबंधित क्षेत्र के वन संरक्षक (क्षेत्रीय)/वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय/वन्य प्राणी) एवं वन्यप्राणी शाखा के क्षेत्र संचालक टायगर रिजर्व के कार्यालय में पांच प्रतियों में दिनांक 30.10.2025 को सायंकाल 05.00 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

30.9.25

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सं.व.प्र.)

मध्य प्रदेश, भोपाल

फोन नम्बर 0755-2524197

आवेदन—पत्र

शहीद अमृतादेवी विश्नोई पुरस्कार, वर्ष 2023–24 हेतु नामांकन प्रारूप

वर्ग	1.	2(अ)	2(ब)	3(अ)	3(ब)
निशान लगायें					

1.	नामित संस्था / व्यक्ति (शासकीय / अशासकीय) का नाम	:
2.	पता	:
3.	दूरभाष एवं मोबाईल नम्बर	:
4.	वेबसाइट यदि कोई हो तो	:
2.	कार्य क्षेत्र	:
5.	पुरस्कार वर्ग	:
6.	किये गये कार्य का संक्षिप्त विवरण (यदि विवरण अधिक हो तो अधिकतम 2 पृष्ठ अलग से संलग्न कर सकते हैं।)	:
7.	किये गये कार्य का विस्तारपूर्वक विवरण (विगत 5 वर्षों का)। कार्य विवरण देते हुए यह भी बतायें कि : अ—कार्य की क्या विशेषता है? ब—कार्य में जन भागीदारी किस प्रकार निहित है? स—क्या किये गये कार्य का विस्तार अन्य क्षेत्रों में हुआ है अथवा उसकी क्या संभावना है?	:
8.	शासकीय कर्मचारी अपने दायित्वों के अतिरिक्त किये गये विशिष्ट कार्य का उल्लेख करें, जिनके कारण पुरस्कार दिया जावे।	:

आवेदक के हस्ताक्षर

9. व्यक्तिगत (शासकीय कर्मचारी) वन एवं अन्य विभाग, श्रेणी 3 "अ" एवं "ब" के प्रस्ताव संबंधित शासकीय सेवक अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से निम्नानुसार प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे:—

प्रमाण—पत्र

1. नाम.....
2. पद
3. वेतनमान
4. विभाग

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त शासकीय सेवक के विरुद्ध विभागीय जांच/लोकायुक्त/आर्थिक अपराध व्यूरो में कोई भी प्रकरण दर्ज/लंबित नहीं है।

हस्ताक्षर
एवं कार्यालयीन पद मुद्रा (नियंत्रक अधिकारी)

10. प्रमाणीकरण (संबंधित वन संरक्षक (क्षेत्रीय/वन्य प्राणी)/वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय/वन्य प्राणी) द्वारा आवेदक के प्रकरण के ऊपर अपनी हस्तालिखित तथ्यात्मक टीप तथा स्पष्ट अनुशंसा दी जाये तथा कार्य में सहभागिता, नवाचार, प्रभावशीलता, कार्य के फैलाव तथा साहस से संबंधित विषयों पर विशेष टीप दी जाये।) तथा सत्यापित किया जाये कि नामित संस्था/व्यक्ति (शासकीय, अशासकीय) द्वारा दिया गया विवरण सही एवं सत्य है।

* इस कॉलम में उपलब्धि पूर्ण न हो तो आवेदन के साथ अन्य पेज संलग्न करें।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर
वन संरक्षक (क्षेत्रीय)/वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल

अंतिम तिथि : वन संरक्षक (क्षेत्रीय/वन्य प्राणी)/वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय/वन्य प्राणी) के कार्यालय में नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 15.09.2025 है। इस संबंध में अन्य जानकारी वन संरक्षक (क्षेत्रीय)/वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय/वन्य प्राणी शाखा के क्षेत्र संचालक) से प्राप्त की जा सकती है।

सदस्य सचिव, पुरस्कार चयन समिति एवं
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सं.व.प्र.)
मध्य प्रदेश, भोपाल

शहीद अमृता देवी विश्नाई पुरस्कार हेतु दिशा-निर्देश एवं शर्ते

-0-

1. विगत पांच वर्षों के अंतर्गत वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा तथा वन संवर्धन में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए उक्त पुरस्कार दिये जायेंगे।
2. संस्थागत/गैर शासकीय/शासकीय श्रेणी में आवेदनकर्ता को विगत पांच वर्षों में एक बार भी यदि किसी भी राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना के अंतर्गत नगद पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो उनके प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे।
3. वृक्षारोपण कार्य के लिये 5 वर्षों से अधिक उम्र एवं 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के वृक्षारोपण ही पात्र माने जायेंगे और पुरस्कार वर्ष में कम से कम 75 प्रतिशत पौधों का जीवित एवं स्वस्थ होना अनिवार्य होगा।
4. पुरस्कारों हेतु वृक्षारोपण का चयन उनकी बढ़त, तकनीकी गुणवत्ता, प्रजाति तथा समाज में वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में इनके योगदान आदि मापदण्डों के आधार पर किया जायेगा।
5. पुरस्कार हेतु इच्छुक व्यक्ति/संस्थान/शासकीय सेवक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित वनमण्डलाधिकारी को तथा वन्य प्राणी शाखा के क्षेत्र संचालक टाईगर रिजर्व को प्रस्तुत करेंगे।
6. ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत के नामांकन जिला पंचायत की अनुशंसा सहित संबंधित वनमण्डलाधिकारी को भेजे जावेंगे।
7. पुरस्कार हेतु चयन के समस्त अधिकार राज्य स्तरीय चयन समिति में निहित होंगे। चयन समिति के विवेकानुसार प्रस्तावित पुरस्कार की श्रेणी में परिवर्तन किया जा सकता है।
8. चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा इस संबंध में कोई वाद किसी भी न्यायालय में मान्य नहीं होगा।
9. विज्ञापन में दिये गये पुरस्कार की श्रेणी में उपयुक्त संस्था/व्यक्ति मिलने पर ही उसे पुरस्कार के लिये चयनित किया जावेगा, उपयुक्त व्यक्ति न मिलने पर उस वर्ष उस श्रेणी में पुरस्कार नहीं दिया जावेगा।
10. आवेदक अपने कार्य से संबंधित दस्तावेज पांच प्रतियों में एवं रंगीन फोटोग्राफ आदि संलग्न करें तथा अपने स्वयं के नवीनतम पासपोर्ट साइज के दो-दो रंगीन फोटोग्राफ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

(3)

(6)

134

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
गंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

//आदेश//

✓
भोपाल, दिनांक 01.09.2006

विषय:- शहीद अमृता देवी विश्नोई वृक्ष रक्षा समारोह।

—00—

क्रमांक एफ-25/40/2000/10-2 राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 अप्रैल, 2001, 30 मई, 2001 एवं 19 जुलाई 2001 को अधिक्रमित करते हुए शहीद अमृता देवी विश्नोई वृक्ष रक्षा समारोह के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि:-

- 1 प्रत्येक वर्ष दिनांक 8 सितंबर को शहीद अमृता देवी विश्नोई वृक्ष रक्षा दिवस मनाया जावेगा, जिसका आयोजन वन विभाग द्वारा किया जावेगा।
- 2 इस अवसर पर निम्नलिखित पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जायेंगे और इन पर होने वाले व्यय गद्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा बहन किया जायेगा।
 - i. संरक्षणगत
 - ii. व्यक्तिगत (अशासकीय)
 - iii. व्यक्तिगत (शासकीय)

(1) संरक्षणगत:- वन रक्षा एवं वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संरक्षण (ग्राम पंचायत, संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत गठित समितियाँ एवं अशासकीय स्वयंसेवी संस्था) को शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार ~~प्रकाशन समिति नगद~~ एवं प्रशस्ति पत्र प्रदाय किया जावेगा।

(2) व्यक्तिगत (अशासकीय) :— (अ) वन रक्षा एवं वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार ~~50 हजार~~ रुपये नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।
(ब) वन्य प्राणियों की रक्षा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार ~~50 हजार~~ रुपये नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।

(3) व्यक्तिगत (शासकीय) :—

(अ) वन रक्षा एवं वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय सेवकों को शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार ~~50 हजार~~ रुपये नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।
(ब) वन्य प्राणियों की रक्षा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले शासकीय सेवक को शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार ~~50 हजार~~ रुपये नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।

(32)

(7)

135

2/- उच्च पुरस्कारों हेतु इच्छुक व्यक्ति/संस्थान/शासकीय सेवक निर्धारित प्रपत्र आवेदन संशोधित वन मण्डलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। वन मण्डलाधिकारी प्राप्त प्रस्तावों का अपनी टीप/अनुशंसा सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र नामांकन जिला पंचायत/जनगांव पंचायत की अनुशंसा सहित वन मण्डलाधिकारी को भेज जावेंगे।

इन प्रस्तावों का परीक्षण माननीय वन मंत्री जी की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित चयन समिति द्वारा किया जाकर पुरस्कार हेतु व्यक्ति/संस्थान/शासकीय सेवक का निर्धारण किया जावेगा।

(1)	माननीय वन मंत्री जी*	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव, वन	सदस्य
(3)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	सदस्य
(4)	श्री ए.पी. द्विवेदी, सेवा निवृत्ति, प्र.मु.व.सं.	सदस्य
(5)	श्री राजेन्द्र कुमार शुक्ला, सेवा निवृत्ति, अ.प्र.मु.व.सं.	सदस्य
(6)	डॉ. के.डी. सारन, सेवा निवृत्ति, डीन, कृषि विश्वविद्यालय (बी-123, लालाराम नगर, इन्दौर)	सदस्य
(7)	श्री दयाल झारिया, अधिवक्ता, नीमगांव, हरदा (म.प्र.)	सदस्य
(8)	डॉ. किरन सिंह, रीडर एवं विभागाध्यक्ष, माईकोबायोलॉजी विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	सदस्य
(9)	श्री विजय सिंह, अध्यक्ष ग्रीन बिग्रेड, डिण्डोरी, म.प्र.	सदस्य
(10)	मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबंधन, म.प्र., भोपाल	सदस्य सचिव

५६४५८ cm
01.09.06

(सी.एच. मुरलीकृष्ण)
पदेन अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

फॉ. /एफ-25/40/2000/10-2

भोपाल, दिनांक 01.09.2006

प्रतिलिपि:-

- निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी।
 - निज सचिव, माननीय वनमंत्री जी।
 - प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वन विभाग।
 - प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल।
 - प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल।
 - समरत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल।
 - मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबंधन, भोपाल।
- की ओर समसंख्यक आदेश दिनांक 30.08.06 के संशोधित आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

५६४५८ cm
01.09.06

पदेन अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग